(12)

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल 462004

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 06/06/2018

क्रमांक एफ 8–8/2018/54–2 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.02.2018 द्वारा जारी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु "धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया 2018 की कंडिका–14 में टंकण त्रृटी होने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा त्रृटी सुधार पश्चात निम्नानुसार संशोधन करता है :–

"कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश को निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त क्रमांक 7(1) से 7(15) तक तथा 19(1) से 19(17) तक की ओपचारिकताएं पूर्ण तथा वर्णित जानकारी एवं अभिलेख प्राप्त निर्धारित आवेदन पत्र से संलग्न प्राप्त होने पर संबंधित शाखा द्वारा प्रारंभिक जांच एवं कमी पूर्ति पत्र से संलग्न प्राप्त होने पर संबंधित शाखा द्वारा प्रारंभिक जांच एवं कमी पूर्ति पश्चात, कोई कमी नही पाई जाने पर प्राप्त आवेदन को संबंधित जिले के सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को भेजते हुए, उनके माध्यम से, आवेदक संस्था के प्रस्ताव में दी गई जानकारी अनुसार प्रस्तावक संस्था का निरीक्षण, आवेदन तिथि से 01 माह में कराऐंगे तथा निर्धारित प्रपत्र में जिला के सहायक संचालक से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी इस मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया में कण्डिका 09 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार/प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक/समिति द्वारा प्रस्तावित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगें ।"

अब कण्डिका क्रमांक 14 उपरोक्तानुसार पढ़ी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

sd
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 8–8/2018/54–2 भोपाल,दिनांक 6/6/2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सहायक,मा0मंत्रीजी,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।

—2—

order.doc

3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल ।
4. आयुक्त,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,सतपुड़ा भवन भोपाल ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश
7. प्रभारी,मान्यता शाखा,आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,म0प्र0 ।
8. समस्त सहायक संचालक,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला ----------म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
9. गार्ड फाईल ।

05.6.17

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग